भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2672

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार

2672 # श्री प्रदीप कुमार वर्माः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत देश के पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वित परिवारों तथा उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे का विस्तार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) भारत की 40% आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के अंतर्गत आने वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट स्तर की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। मार्च 2024 में, इस योजना का विस्तार करके इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवारों को शामिल किया गया। अक्टूबर 2024 में, योजना का और अधिक विस्तार करते हुए 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना इसके दायरे में लाया गया। दिनांक 31 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 44.98 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

(ख): दिनांक 31 जुलाई 2026 तक, इस स्कीम के तहत 12.97 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को मंजूरी दी गई, जिनकी राशि 1.98 लाख करोड़ रुपये है। इससे पात्र लाभार्थी कैशलेस उपचार का लाभ उठा पाएं। योजना के तहत अधिकृत अस्पताल में भर्ती मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में काफी विस्तार हुआ है, जिससे पात्र लाभार्थियों के लिए कैशलेस मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई है। पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 के 18,433 अस्पताल जिसमें 10,921 सरकारी और 7,512 निजी अस्पताल थे, बढ़कर 31 जुलाई 2026 तक 38,374 अस्पताल हो गई है, जिसमें 20,355 सरकारी और 18,019 निजी अस्पताल शामिल हैं।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) का क्रमिक रूप से विस्तार किया गया है। एचबीपी 2022 के तहत एचबीपी को 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में प्रारंभिक 1,393 से बढ़ाकर 1,961 प्रक्रियाओं तक विस्तार किया गया है, जिससे पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में विस्तार हुआ है।

अनुलग्नक

दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पताल में अधिकृत भर्ती के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पताल में भर्ती होने की अधिकृत संख्या (लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.049
आंध्र प्रदेश	109.98
अरुणाचल प्रदेश	0.18
असम	22.47
बिहार	37.42
चंडीगढ़	1.11
छत्तीसगढ़	94.04
दिल्ली	0.66
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.76
गोवा	0.32
गुजरात	88.93
हरियाणा	39.07
हिमाचल प्रदेश	5.07
जम्मू और कश्मीर	21.97
झारखंड	30.20
कर्नाटक	156.33
केरल	82.94
लद्दाख	0.39
लक्षद्वीप	0.02
मध्य प्रदेश	83.43
महाराष्ट्र	53.48
मणिपुर	3.59

मेघालय	13.65
मिजोरम	2.16
नागालैंड	1.45
ओडिशा	20.60
पुडुचेरी	2.04
पंजाब	37.58
राजस्थान	94.84
सिक्किम	0.52
तमिलनाडु	128.64
तेलंगाना	31.77
त्रिपुरा	6.70
उत्तर प्रदेश	103.89
उत्तराखंड	20.62
